

ft yk t u&l Ei dZdk; k; / no?kj

¼ puk Hou½

vlosu vlea. k l puk

सांस्कृतिक कार्य निदेशालय, झारखण्ड सरकार के पत्रांक 1186 दिनांक-27.03.2018 के निर्देशानुसार शनिपरब एवं सुबह-सवेरे सांस्कृति कार्यक्रम के सफल संचालन एवं पर्यवेक्षण हेतु कलादल/कलाकार, संयोजक, उद्घोषक का चयन किया जाना है। इनके चयन के लिए योग्यताएँ व शर्तें निम्नवत हैं -

Øla	inuke	ik-rk@; k; rk	Muuns
1.	संयोजक	जाने-माने कलाकार या प्रवर्तक हो एवं कार्यक्रमों की आयोजन की क्षमता एवं अनुभव हो।	500.00 (पाँच सौ) रू0 सुबह-सवेरे एवं 1000.00 (एक हजार) रू0 शनिपरब के लिए प्रति सप्ताह।
2.	कलादल/कलाकार	आवेदनकर्ता को पाँच या अधिक वर्षों का प्रखण्ड/जिला स्तर पर कार्यक्रम सम्पन्न करने का अनुभव हो।	10,000.00 (दस हजार) रू0 प्रत्येक कार्यक्रम, प्रत्येक सप्ताह।
3.	उद्घोषक	आवेदनकर्ता को जिला अथवा राज्य स्तर पर कार्यक्रम प्रस्तुत करने का अनुभव प्राप्त हो।	1000.00 (एक हजार) रू0 केवल शनिपरब हेतु प्रति कार्यक्रम।

- पात्रता एवं अनुभव के संदर्भ में प्रमाण स्वरूप फोटोग्राफ एवं समाचार पत्र के कतरन की छाया प्रति आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- शनिपरब के अन्तर्गत माह के पहले एवं तीसरे शनिवार को पारम्परिक लोक गीत एवं लोक नृत्य का आयोजन किया जाएगा। जबकि दुसरे शनिवार को शास्त्रीय संगीत/उप शास्त्रीय संगीत एवं नृत्य का आयोजन एवं चौथे शनिवार को नाटकों का मंचन किया जाएगा।
- कार्यक्रम की प्रस्तुती जिला मुख्यालय के साथ-साथ प्रखण्ड मुख्यालय एवं पंचायत मुख्यालयों में भी किये जायेंगे।
- कला दलों का चयन आवेदनकर्ता दलों द्वारा 15-20 मिनट के प्रस्तुत कार्यक्रम के आधार पर किया जायेगा। प्रस्तुत कार्यक्रम का विषय कलाकारों का स्वयं अथवा चयन समिति द्वारा दर्शाए जायेंगे।
- सुबह-सवेरे प्रातः एवं शनि परब संध्या में आयोजित किए जाएंगे।
- आवेदनकर्ता देवघर जिला का होना चाहिए एवं सभी कलाकार देवघर जिले के निवासी होंगे। साथ ही दल नायक व सभी कलाकारों के सम्पूर्ण पता सहित आधार कार्ड अथवा वोटर आई डी कार्ड की छायाप्रति आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- चयनित कलादलों/कलाकारों को कार्यक्रम प्रस्तुत करने हेतु रोस्टर तैयार किया जायेगा। कार्यक्रम प्रस्तुति के उपरांत कलादलों/कलाकारों द्वारा प्रस्तुत विपत्र के साथ कार्यक्रम सम्पन्न होने के संदर्भ में प्रमाण स्वरूप फोटोग्राफ एवं विडियोग्राफ की प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। प्रस्तुत प्रमाण से संतुष्ट होने के उपरांत ही विपत्रों का भुगतान संभव होगा।
- विपत्र एवं प्रस्तुति प्रमाण (फोटोग्राफी/विडियोग्राफी) की प्रस्तुति ससमय करना अनिवार्य होगा। यदि ससमय ऐसा नहीं किया गया तो भुगतान में हुए विलंब के लिए कलादल/कलाकार स्वयं जिम्मेवार होंगे।
- प्रत्येक विधा के लिए कलादलों के सदस्यों की संख्या निर्धारित है, यथा-
 1. शास्त्रीय गायन/भजन/संगीत - 05-07
 2. लोक नृत्य/नृत्य - 15-20
 3. गायन - 05-07
 4. नाटक - 05-20
- कलादल/कलाकारों के संख्या मानक को अवश्य पूरा करेंगे। मानकों के अनुरूप कलाकारों के संख्या न होने पर कार्यक्रम प्रस्तुति से वंचित किया जा सकता है एवं विपत्र भुगतान भी रोका जा सकता है।
- कलादलों के चयन हेतु आयोजित ऑडिशन में जिन कलाकारों के साथ चयन प्रक्रिया में भाग ली जायेगी, वही कलाकार चयनोपरांत कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे।
- अन्य कलाकारों से अथवा प्रत्येक विधा हेतु कलादलों के लिए निर्धारित कलाकारों की संख्या मानक के अनुरूप नहीं होने पर मानदेय का भुगतान नहीं किया जायेगा।
- इसके अतिरिक्त पर्यटन कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवाकार्य विभाग झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित अन्य नियम व शर्तें लागू होंगे।

आवेदक दिनांक-23.04.2018 के संध्या 5:00 बजे तक अपना आवेदन जिला जन सम्पर्क कार्यालय (सूचना भवन), देवघर में निबंधित डाक अथवा स्पीड पोस्ट के माध्यम से दाखिल कर सकते हैं एवं प्राप्त आवेदन के विरुद्ध चयन हेतु कार्यक्रम दिनांक-26.04.2018 के पूर्वाह्न 10:00 बजे सूचना भवन सभागार में आयोजित की जायेगी। इस संबंध में सभी आवेदनकर्ता चयन कार्यक्रम (ऑडिशन) में ससमय भाग लेंगे। अनुपस्थित आवेदनकर्ताओं को किसी भी परिस्थिति में अतिरिक्त समय, तिथि प्रदान नहीं की जायेगी।

vlosu dlk ik lk foHxh; oel HbV www.prdjharkhand.in , oaDeoghar.nic.in IsMnuylM dj l drsgA

उप-विकास आयुक्त
-सह-अध्यक्ष
जिला स्तरीय सुबह-सवेरे समिति,
देवघर।

foUkr o'k&2018&19 l qg&l ojs, oa "ku ijc grqdyk nyl&
dk vlonu dk i& i

l ok e&

*ft yk t u&l E dZink/kclj/h
no?ljA*

vlonu dRr l&ny i&f k&dk ule&-----

ny dk ule&-----

fo/W&uWd@uR, @ l xtr -----

dyk l j l&dh l d; k i q 'k----- efgyk-----

irk&----- xte@okM-----

i p k r----- ekgYk----- Fkuk-----

i k V----- i d k M----- ft yk& no?ljA ek l b y ua-----

vu&to&-----

l y Xu dkxt kr dh foj. M&-----

<i>0a</i>	<i>l nl; k&dk ule</i>	<i>vk/hj l d; k vFl&k H&Wj vloZMh l d; k</i>	<i>dyk ds {k- ea ; k& rk</i>	<i>mez</i>	<i>irk</i>	<i>Qk&h&k&Q</i>	<i>l nl; dk g l r k/hj</i>
<i>1</i>							
<i>2</i>							
<i>3</i>							
<i>4</i>							
<i>5</i>							
<i>6</i>							
<i>7</i>							

<i>8</i>							
<i>9</i>							
<i>10</i>							
<i>11</i>							
<i>12</i>							
<i>13</i>							
<i>14</i>							
<i>15</i>							
<i>16</i>							
<i>17</i>							
<i>18</i>							
<i>19</i>							
<i>20</i>							

foUkr o'k&2018&19 l og&l ojs, oa "ku ijc grq
l a kt d@mn?ks'kd dk vlosu i= dk i k i

सेवा में,

जिला जन-सम्पर्क पदाधिकारी,
देवघर।

vlosnr in dk ule%-----

vlosudRr'kZ dk ule%-----

fi rk dk ule%-----

"k'k. kd ; kx; rk%-----

ir k%-----

xte@okM-----

i pk r-----

elgYyk-----

Fluk-----

i kV-----

i d k M-----

ek'kb'z ua-----

vk'kj l d; k vFlak okVj vkbZ dkM l d; k-----

vudho%-----

l g Xu dkxt kr dh foj. k%-----

आवेदनकर्ता का हस्ताक्षर